उपचकबंदी निदेशक आजमगढ़

बनाम

दीनबंधु राय

(एक्टींग सीजे के.सुब्बाराव, एस के दास, के.रघुवरदयाल, राजगा ेपाला अंययगर, जे आर मुधोलकर, जे. जे.)

जोत का समेकन-स्थानान्तरण अनुमति के लिए आवेदन-बन्दोबस्त अधिकारी यूपी द्वारा अस्वीकृति के आधार-जोत समेकन अधिनियम (यू.पी. अधिनियम नं० vi 1954), एस एस., 13,14,15,16,18,19,20 और 23.

यू.पी. जोत सम्मेलन अधिनियम की धारा 16(ए) की उपधारा (1) के तहत अनुमति के लिए चार उत्तरदाताओं ने सेटल ऑफिसर कंसोलिडेशन को दो आवेदन दिए। 11 गांवों में कुछ भूखंडों के विनिमय के माध्यम से हस्तांतरण के लिए 11 गांवों की चकबंदी की कार्यवाही चल रही थी, चकबंदी अधिकारी ने उपरोक्त अधिनियम की धारा 16 ए की उपधारा (2) के तहत अनुमति देने से इनकार कर दिया। तार चकबंदी के उप निदेशक द्वारा अनुमति प्रदान की गयी थी। उत्तरदाताओं ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका में चकबंदी प्राधिकारियों के उक्त आदेशों को चुनौती दी: विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिवीजन बेंच के समक्ष एक विशेष अपील में उत्तरदाताओं की याचिका को खारिज कर दिया। डिवीजन बेंच ने माना कि अधिनियम का 1. 16 ए(2) अनिवार्य था। इसके तहत निपटान

अधिकारी उत्तरदाताओं को अनुमति देने के लिए बाध्य है क्योंकि विनिमय से समझौते की योजना को विफल करने की संभावना नहीं थी और उन्होंने निपटान अधिकारी को उपरोक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए एक आदेश पारित करने का निर्देश दिया। समेकन के उपनिदेशक ने विशेष अपील के साथ इस अपील को प्राथमिकता दी।

अभीनिरधारित: (1) जहां स्थानांतरण के लिए आवेदन उपरोक्त अधिनियम की धारा 16 ए(1) के तहत आता है। जहां इसे निर्दिष्ट चरण में दायर किया गया था, निपटान अधिकारी को आवेदन की अनुमति देने का आदेश दिया गया है जब तक कि प्रस्तावित हस्तांतरण समेकन की शर्म को खत्म करने की संभावना नहीं है

(2) कि यदि एक सिद्धांत जो कि धारा 18 के तहत दिया गया है व ठोस "प्रस्ताव" जैसा कि धारा 23 के तहत पुष्टि की गई है। के बीच विवाद पैदा होता है तो निपटान अधिकारी अधिनियम की धारा 16 ए(2) के तहत स्थानांतरण की अनुमति देने से इनकार करने का हकदार होगा, लेकिन अन्यथा यदि वह धारा 16 ए(1) और 16 ए(2) के तहत निर्धारित शर्तों को पूरा करता है तो स्थानांतरण के लिए आवेदन की अनुमति दी जाएगी। यह निपटान अधिकारी को तय करना है कि क्या ऐसा विवाद है।

(3) डिवीजन बेंच के विद्वान न्यायाधीशों द्वारा निपटान अधिकारी काे दिये गये निर्देश 16 ए(2) व अन्य संबंधित प्रावधानों के अनुसार नहीं था।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 483/1963

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले और डिक्री दिनांकित 19 मार्च, 1962 से विशेष अनुमति द्वारा अपील की गयी (स्पेशल अपील संख्या 56/1961)।

सी. बी. अग्रवाल, के. बी. गर्ग और सी. पी. लाल, अपीलकर्ता के लिए

जे. पी. गोयल, उत्तरदाताओं के लिए।

23 अगस्त, 1963. कोर्ट का फैसला सुनाया गया।

अयंगर जे. द्वारा प्रस्तुत - धारा 16-ए यू.पी. जोत समेकन अधिनियम, 1953 (उ.प्र. एए संख्या 5, 1954), जिसे संक्षिप्तता के लिए हम अधिनियम के रूप में संदर्भित करेंगे क्योंकि यह वर्तमान में था।

अधिनियमित: "16-ए। (1) धारा 16 के तहत बयान के प्रकाशन के बाद और धारा 52 के तहत एक अधिसूचना जारी होने तक, कोइ भी कार्यकाल-धारक, सेटलमेंट अधिकारी (समेकन) की लिखित अनुमति के अलावा ऐसा नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1950 में निहित किसी भी बात के बावजूद, चकबंदी की योजना में शामिल किसी भी होल्डिंग में किसी भी भूखंड या शेयर को पहले पराप्त, बिक्री, उपहार के माध्यम से या विनिमय के माध्यम से स्थानांतरण।

(2) निपटान अधिकारी उप-धारा (1) में संदर्भित अनुमति देगा जब तक कि लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से वह संतुष्ट न हो जाए कि प्रस्तावित हस्तांतरण से समेकन की योजना विफल होने की संभावना है।

हमसे पहले चार उत्तरदाताओं ने कहा था11 गांवों में कुछ भूखंडों के आदान-प्रदान के माध्यम से हस्तांतरण के लिए उपरोक्त प्रावधान की उपधारा (1) के तहत अनमति के लिए निपटान अधिकारी दो आवेदन दिए। जो उन कई गांवों में चकबंदी की योजनाओं में शामिल थे, जिनमें ऐसी कार्यवाही हो रही थी। हालांकि, अधिकारी ने उप-धारा (2) के तहत मांगी गयी अनुमति देने से इनकार कर दिया। उप निदेशक समेकन द्वारा उत्तरदाताओं द्वारा दायर संशोधन के माध्यम से एक आवेदन पर उनके चकबंदी अधिकारि द्वारा फैसले में हुइ देरी को चुनौती देते हुये उत्तरदाताओं ने एक याचिका संविधान की धारा 226 के तहत सर्टिओरीरी रिट जारी करके इसे रद्द करने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की। याचिका की सुनवाई करने वाले विद्वान एकल न्यायाधीश ने इसे खारिज कर दिया। इसके बाद एक विशेष अपील दायर की गई और बेंच ने अपील को यह कहते हुए स्वीकार कर लिया कि निपटान अधिकारी ने विनिमय के लिए आवेदनों को खारिज करने के अपने आदेश को पारित करते समय क़ानून के प्रावधानों के उद्देश्य के लिए गैर-जरूरी आधारों पर कार्रवाई की थी और उस निष्कर्ष पर इसे खारिज कर

दिया गया और जारी किया गया। परमादेश की एक रिट जिसमें निपटान अधिकारी को कानून के अनुसार नए आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया है जैसा कि उनके फैसले में बताया गया है। इससे व्यथित होकर बंदोबस्त प्राधिकारियों- उप निदेशक चकबंदी और बंदोबस्त अधिकारी, चकबंदी ने कला के तहत उच्च न्यायालय से संविधान के अनुच्छेद 133(1) (सी) के तहत एक प्रमाण पत्र मांगा। लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया। फिर उन्होंने आवेदन किया और कला के तहत अनुच्छेद 136 के तहत

इस न्यायालय की विशेष अनुमति प्राप्त की। इस तरह अपील हमारे सामने है।

पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश धारा चकबंदी अधिकारियों के आवेदन को अस्वीकार करने के आदेश को सही रूप से खारिज किया गया है। आवेदनों पर पुनर्विचार करने के मामले में उच्च न्यायालय ने निपटान अधिकारी को जो निर्देश दिए थे, वे उचित नहीं थे और परिणामस्वरूप, जबकि अपील की अनुमति दी जानी है, आवेदनों को वापस भेजना होगा। निपटान अधिकारी को कानून के अनुसार उचित तरीके से निपटान करने के लिए कहा। अब हम उपरोक्त निष्कर्ष के लिए अपने कारण निर्धारित करने के लिए आगे बढ़ेंगे।

जो कार्यवाही रिकार्ड पर है। उससे मामले के तथ्य स्पष्ट रूप से सामने नहीं आते। हालाँकि, जहाँ तक, जितना एकत्र किया जा सका, वे संक्षेप में इस प्रकार हैं: चार उत्तरदाता हैं। उत्तरदाता 1 और 2 भाई हैं, तीसरे प्रतिवादी के बेटे हैं, और चौथी प्रतिवादी उनकी माँ है। 1940 में पारित न्यायालय के एक डिक्री द्वारा परिवार की संपूर्ण संपत्तियों का एक विभाजन किया गया था। इस डिक्री और उसके द्वारा प्रभाव से विभाजन हुआ, जबकि उत्तरदाताओं 1 और 2 यानी, बेटों को सभी 11 गांवों में जमीन के टुकड़े मिले हैं , तीसरे प्रतिवादी-पिता के पास 8 गांवों में और चौथे प्रतिवादी-मां के पास 5 गांवों में जमीन है। इन सभी 11 गांवों में चकबंदी की कार्यवाही चल रही थी। हालाँकि, आवेदन की अनुमति के लिए निपटान अधिकारी को दो आवेदन दिए गए थे ताकि बेटा े (प्रतिवादी 1 और 2) को

3 गाँवों में एकमात्र खातेदार बनाया जा सके और पित (तीसरा प्रतिवादी) 6 गाँवों में एकमात्र खातेदार और याचिकाकर्ता 4 अन्य दो गांवों में संपत्ति के संबंध में एकमात्र खातेदार है। हम थोड़ी देर बाद उस चरण का जिक्र करेंगे जहां आवेदन दायर किए जाने तक चकबंदी की कार्यवाही पहुंच चुकी थी, लेकिन इससे आगे बढ़ते हुए, यह कहा जा सकता है कि विनिमय के लिए याचिकाएं निपटान अधिकारी द्वारा दिनांकित 28 फरवरी, 1951 एक आदेश द्वारा खारिज कर दी गई थीं।। जैसा कि पहले कहा गया है, 28 फरवरी, 1959 के एक आदेश द्वारा उप निदेशक के संशोधन

को भी खारिज कर दिया गया था, लेकिन इस पर कुछ नहीं हुआ। यह निपटान द्वारा आवेदनों की अस्वीकृति के लिए दिए गए कारणों की वैधता और औचित्य है पार्टियों के बीच बहस का विषय है।

अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा हमारे सामने रखे गए बिंदुओं की सराहना करने के लिए अधिनियम के कुछ संबंधीत प्रावधानों को पढ़ना आवश्यक होगा जो समेकन की प्रक्रिया के साथ-साथ उन आधारों पर भी लागू होते हैं जिन पर स्थानांतरण की अनुमति मांगने वाले आवेदन को खारिज किया जा सकता है। हम इस स्तर पर भी बता सकते हैं कि अधिनियम में 1958 और 1963 में प्रभावी संशोधनों द्वारा आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं, और हम जो प्रावधान कर रहे हैं वह इस अपील के लिए प्रासंगिक थे।

अधिनियम की प्रस्तावना और साथ ही संक्षिप्त शीर्षक अधिनियम के उद्देश्य को "कृषि के विकास के लिए जोत का समेकन" के रूप में निर्दिष्ट करता है। अभिव्यक्ति "समेकन" को धारा 3(2) में इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

धारा 3.(2) के अनुसार 'समेकन' का अर्थ है " किसी भी क्षेत्र में उसके हकदार कइ खातेदारों के बीच जोतो को इस तरह से पुन: व्यवस्था करना कि उनके द्वारा धारित जोतो को और अधिक संतुलित बनाया जा सके।" उन हिस्सों को छोड़ना जो हमारे उद्देश्य के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं। धारा

4 अध्याय II अधिनियम खोलता है; 4.(1) समेकन की दृष्टि से, राज्य सरकार घोषणा कर सकती है कि उसने किसी जिले या अन्य स्थानीय क्षेत्र के लिए समेकन की एक योजना बनाने का निर्णय लिया है।

(2) ऐसी प्रत्येक घोषणा आधिकारिक राजपत्र और उक्त जिले के प्रत्येक गांव में प्रकाशित की जाएगी।

धारा 5 के तहत एक घोषणा के वैधानिक प्रभाव को विशिष्ट करती है धारा 4. के तहत यह कहा गया है कि जिला या स्थानीय क्षेत्र को "निर्दिष्ट तिथि से समेकन के अंतर्गत माना जाएगा और खसरा और वार्षिक रजिस्टर स्टाल स्टैंड तैयार करने और बनाए रखने का कर्तव्य निपटानअधिकारी को सौंपा जाएगा"। इस अध्याय के अन्य प्रावधान (अध्याय, 11) राजस्व रिकॉर्ड की जांच और उनमें प्रविष्टियों के सुधार से संबंधित हैं और भूखंडों, किरायेदारों के अनंतिम प्रकाशित विवरणों और इनके संबंध में अन्य विवरणों पर आपत्तियां लेने का प्रावधान करते हैं। अध्याय III में वर्तमान अपील में मुद्दे पर प्रश्न के लिए अधिक प्रासंगिक है उसका शीर्षक समेकन योजना की तैयारी है और वह अध्याय है जिसमें और 16-ए होता है। धारा 13 में, जिसे पुनः संशोधित किया जा सकता है, एक 'समेकन योजना' की परिभाषा शामिल है और यह चलती है:

"13. समेकन योजना में शामिल होंगे-

(ए) धारा 14 में निर्दिष्ट सिद्धांतों का विवरण

(बी) 19 में संदर्भित प्रस्तावों का विवरण

(सी) ऐसे अन्य विवरण जो निर्धारित किए जा सकते हैं।

धारा 14 जिसका उल्लेख धारा में किया गया है। 13(ए) अधिनियमित करता है-

"14(1) सहायक चकबंदी अधिकारी चकबंदी के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक गांव के संबंध में एक विवरण तैयार करेगा (जिसे इसके बाद सिद्धांतों का विवरण कहा जाएगा) जिसमें चकबंदी योजना तैयार करने में अपनाए जाने वाले सिद्धांतों को लिखित रूप में बताया जाएगा। विवरण भी तैयार किया जायेगा। गाँव के प्रस्तावित पुनर्सर्वेक्षण और लेआउट की विस्तृत रूपरेखा भी दर्शाई जाएगी, जिसमें शामिल हैं-

(ए) संचार के मौजूदा और प्रस्तावित साधन

(बी) वह क्षेत्र जिसे पेड़ लगाने या चरागाह, मछली पालन, खाद के गड्ढों, खलियानों, श्मशान घाटों और चारागाहों के लिए अलग रखा जाना प्रस्तावित है;

(सी) आबादी के लिए अलग किया जाने वाला क्षेत्र;

(डी) सार्वजनिक उपयोगिता के कार्यों का स्थान;

(ई) सार्वजनिक संरक्षण के लिए प्रावधान;

(ईई) सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए आवश्यक भूमि के लिए काश्तकार किस आधार परयोगदान देंगे और उक्त प्रयोजन के लिये खाली भूमि का किस हद तक उपयोग किया जा सकता है

(एफ) कोई अन्य मामला जो निर्धारित किया जा सकता है,

(2) सहायक चकबंदी अधिकारी निर्धारित तरीके से चकबंदी समिति के परामर्श से विवरण तैयार करेगा

(3) यदि किसी मामले में सहायक चकबन्दी अधिकारी एवं चकबन्दी समिति के बीच मतभेद हो तो उसे बंदोबस्त अधिकारी (चकबंदी) को भेजा जायेगा। जिसका निर्णय अंतिम होगा।

15. (1) सहायक चकबंदी अधिकारी धारा 14 के तहत सिद्धांतों का विवरण तैयार करते समय निम्नलिखित सिद्धांतों का ध्यान रखेंगे:

(ए) भूखंडों का आवंटन उसके मूल्यों पर किया जायेगा

परन्तु आवंटित किये जाने वाले प्रस्तावित भूखण्डों का क्षेत्रफल चकबन्दी निदेशक की अनुमति के अलावा किसी भी स्थिति में मूल क्षेत्रफल से 20 प्रतिशत से अधिक भिन्न नहीं होगा।

(बी) जहां तक संभव हो, केवल उन्हीं खातेदारों को किसी विशेष ब्लाॅक में जमीन मिलेगी, व जिनके पास पहले से ही जमीन है और

आबादी के लिए चिह्नित क्षेत्रों सावर्जनिक उद`देश्यों के लिये आरक्षीत क्षेत्रों को छोड़कर आवंटित किए जाने वाले चकों की संख्या अधिक नहीं होगी।

(सी) प्रत्येक खातेदार को, जहां तक संभव हो, उस स्थान पर भूमि आवंटित की जाती है जहां जोतों का;वह सबसे बड़ा हिस्सा रखता है।

(डी) एक ही परिवार से संबंधित किरायेदार जहां तक संभव हो पड़ोसी चक दिये जायेंगे;

(ई) किरायेदार के आवासीय घर का स्थान या उसके द्वारा किए गए सुधार, यदि कोई हो, को, जहां तक संभव हो, आवंटन में ध्यान में रखा जाएगा

(एफ) जहां तक संभव हो, छोटे कार्यकाल धारक गांव की आबादी के पास जमीन दी गई।

(जी) मौजूदा कॉम्पैक्ट होल्डिंग या फार्म जिसका क्षेत्रफल 61/4 एकड़ या उससे अधिक है, को जहां तक संभव हो, परेशान या विभाजित नहीं किया जाएगा।

(2) सहायक चकबंदी अधिकारी को ऐसे अन्य सिद्धांतों का भी ध्यान रखेगें जो निर्धारित किये जायेंगे व समेकन समिति द्वारा निर्दिष्ट है। और इस अधिनियम और नियमों के प्रावधानों से असंगत नहीं हैं।

धारा 16 धारा के तहत तैयार सिद्धांतों के प्रकाशन का प्रावधान करती है। 14 उस गांव में जिससे वह कथन संबंधित है, और धारा के अंतर्गत। योजना से प्रभावित होने की संभावना वाले 16(2) व्यक्ति प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर "निर्धारित तरीके से" आपत्तियां दर्ज करने में सक्षम हैं। इसके बाद 16-ए आता है जिसे हम पहले ही निर्धारित कर चुके हैं। धारा 17 के तहत दायर आपत्तियों के निपटान से संबंधित है। 16(2) और ऐसे आदेशों और धारा के तहत अपील। 18 जहां कोई आपत्ति दर्ज नहीं की जाती है या जहां उन्हें दायर किया जाता है और अंतिम रूप से निपटाया जाता है, तो बयान की पुष्टि के लिए प्रावधान किया जाता है और उसके बाद, पुष्टि होने पर बयान को अंतिम घोषित कर दिया जाता है और गांव में प्रकाशित करने का निर्देश दिया जाता है। धारा 19 वह प्रावधान है 13(बी) प्रस्तावों के विवरण से संबंधित है। वह धारा अधिनियमित करती है;

"19.(1) जैसे ही धारा 18 के तहत विवरण की पुष्टि हो जाती है, सहायक चकबंदी अधिकारी, विवरण के अनुसार, निर्धारित प्रपत्र में प्रस्ताव का एक विवरण तैयार करेगा, जिसमें दिखाया जाएगा-

(ए) प्रत्येक किरायेदार के संबंध में धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (बी) में निर्दिष्ट विवर

(ख) प्रत्येक नवीनीकरण धारक को उसकी जोत के मूल भूखंडों के बदले में, आवंटित किये जाने वाले भूखण्डों की खसरा सं० उसमें अधिकारों की प्रकृति, किराये का मूल्य और इस प्रकार क्षेत्र की मिट्टी का वर्गीकरण;

(सी) कारण (बी) में प्रस्ताव के समर्थन में संक्षेप में कारण।

(डी) पेड़ों, कुओं, इमारतों या किसी अन्य सुधार के लिए मुआवजे की गणना निर्धारित तरीके से की जायेगी।

(ई) सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए निर्धारित क्षेत्र और ऐसे क्षेत्रों का लेआउट और उनका किराया मूल्य;

(एफ) किरायेदारों द्वारा देय आवंटित भूखंड का राजस्व या किराया

(छ) ऐसे अन्य विवरण जो निर्धारित किये जा सकते हैं।

(2) प्रस्तावों का विवरण के साथ भूखण्डों प्रस्तावित व्यवस्था दर्शाया जाने वाला गाँव के मानचित्र भी संलग्न किया जाएगा।

(3) जब भी प्रस्ताव विवरण तैयार करते समय सहायक चकबंदी अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाने वाली किसी भी भूमि, किसी भी होल्डिंग को योजना में मिलाना आवश्यक है, तो वह इस आशय की घोषणा करेगा कि ऐसी घोषणा में यह कहा जाएगा कि यह प्रस्तावित किया गया है कि जनता के साथ-साथ भूमि पर या उस पर सभी व्यक्तियों के अधिकारों को बयान में सार्वजनिक

उद्देश्यों के लिए निर्धारित किसी अन्य भूमि पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा और जब भी अधिकार इस प्रकार स्थानांतरित किए जाएंगे तो वे उस भूमि से समाप्त हो जाएंगे जहां से उनका तबादला किया गया है।

(4) प्रस्तावों का विवरण निर्धारित तरीके से समेकन समिति के परामर्श से तैयार किया जाएगा। (5) यदि प्रस्तावों के विवरण में निहित किसी भी मामले के संबंध में सहायक चकबंदी अधिकारी और चकबंदी समिति के बीच मतभेद है, तो इसे निपटान अधिकारी (चकबंदी) को संदर्भित किया जाएगा जिसका निर्णय अंतिम होगा।

धारा 20(1) के तहत, धारा 19 के तहत तैयार किए गए प्रस्तावों का विवरण गांव में प्रकाशित किया जाना आवश्यक है और धारा 20(2) के तहत "प्रस्ताव" से प्रभावित व्यक्तियों को ऐसे प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर सहायक चकबंदी अधिकारी के समक्ष लिखित रूप में आपत्तियां दाखिल कराने की अनुमति दी जाती है। धारा 21 के तहत दायर आपत्तियों के निपटान और धारा 20 ऐसे निपटान में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से संबंधित है। धारा 23 तब लागू होती है जहां इसके तहत कोई आपत्ति दर्ज नहीं की जाती है। धारा 20 या यदि वे दायर की जाती हैं, तो उनके निपटान के बाद और इस धारा की दूसरी उपधारा अधिनियमित होती है:

23.(2) पुष्टि किए गए बयान को प्रकाशित किया जाएगा और अंतिम होगा, सिवाय इसके कि यह उस भूमि से संबंधित है जो सिविल जज को

किए गए संदर्भों का विषय-वस्तु है और जिसका तब तक निपटान नहीं किया गया है।

अधिनियम के अन्य अध्याय और प्रावधान इस प्रकार बनाई गई योजनाओं का निष्पादन और प्रवर्तन संबंधित हैं व उन्हें निर्धारित किया जाना आवश्यक नहीं है।

अब हम उन तथ्यों का विवरण बताने के लिए आगे बढ़ेंगे जो रिकॉर्ड से सामने आए हैं। विनिमय की अनुमति के लिए आवेदन दायर करने की सही तारीख रिकॉर्ड से पता नहीं चल पाई है; न ही, निश्चित रूप से, द्वितीय गांवों में से प्रत्येक के संदर्भ में की गई सटीक प्रार्थना का पटरी से उतरना। हालाँकि, निम्नलिखित वह है जो प्रतिवादियों द्वारा दायर रिट याचिका से एकत्र किया जा सकता है; याचिकाकर्ताओं की संपत्तियां जिन 11 गांवों में स्थित हैं वे हैं: (1) कारहर बुजुर्ग, (2) महमौती, (3) बीबीपुर, (4) भिटारी, (5) तहबरपुर, (6) तमुधी, (7) शंभूपुर , (8) श्रीकांतपुर, (9) लछहारा, (10) नवादा, और (11) गरलर खुर्दा। इनमें से गरबर बेजुग, महमनी, बीबीपुर, भिटारी और तहहारपुर में चकबंदी का काम एस के तहत कार्यवाही के स्तर पर था। अधिनियम की धारा 12 एवं नवादा एवं लाचा हारा में धारा 12 के तहत कार्यवाही। 20 चल रहे थे और श्रीकान्तपुर तथा शम्भूपुर में योजना की पुष्टि हो चुकी थी तथा उसे क्रियान्वित किया जा रहा था। गरहर खुर्दा गांव में एस के तहत प्रस्तावों के बयान का प्रकाशन। 19 पर आपत्ति की गई थी और आपत्ति को सही ठहराए जाने के

परिणामस्वरूप धारा के तहत नए सिद्धांत तैयार करने का निर्देश दिया गया था।

इसे चकबंदी प्राधिकारियों द्वारा उस चरण का सही प्रतिनिधित्व माना गया जिस पर आवेदन की तारीख पर कार्यवाही थी। रिट याचिका में एक और आरोप था जिसका उल्लेख करना आवश्यक था और वह यह था कि श्री कांतपुर, शंभूपुर और लचहारा गांवों में जिन संपत्तियों के बदले जाने की मांग की गई थी, वे निकटवर्ती चकों में थीं।

यह उन आधारों को संदर्भित करने के लिए सुविधाजनक बिंदु होगा जिन पर निपटान अधिकारी ने

16-ए(2) धारा के तहत आवेदनों को खारिज कर दिया। जैसा कि पहले कहा गया है, दो आवेदन थे- एक पिता और दो बेटों द्वारा, और दूसरा मां और बेटों द्वारा। आवेदनों का सार संक्षेप में बताने के बाद निपटान अधिकारी ने कहा:

> "इस धारा [16-ए(2)] के तहत इस पर विचार किया जाना है कि क्या एक्सचेंज समेकन की योजना को विफल करने की संभावना है या नहीं।"

फिर उन्होंने बताया कि उनकी फाइल और उनके द्वारा की गई जांच से यह खुलासा हुआ कि धारा 16 के तहत सिद्धांतों में प्रकाशित किये गये बयान 7 गांवों में किया गया था, जबकि 5 के संबंध में, सिद्धांतों के

अलावा, अधिनियम 20. प्रस्तावों का एक बयान भी प्रकाशित किया गया था। इसमें अन्य 4 गांवों के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया था जिनके संबंध में भी विनिमय के लिए आवेदन किया गया था। उन्होंने चकबंदी अधिकारी की रिपोर्ट का हवाला देकर आवेदनों को खारिज करने के कारणों की चर्चा का वादा किया, जो उन्होंने दो आवेदन प्राप्त होने पर इस प्रकार मांगी थी:

> "चकबंदी अधिकारी ने बताया कि इन गांवों में चक निर्माण का काम चल रहा है।"

"इन गाँवों" से उनका तात्पर्य स्पष्ट रूप से शंभूपुर, नवादा, गाथर खुर्दा, जचहारा और श्रीकांतपुर के 5 गाँवों से था, जिसमें न केवल बल्कि प्रस्ताव २० के तहत प्रकाशित किये गये थे।

" मैं उनसे पूरी तरह से सहमत हूं कि भूमि का आदान-प्रदान काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, या तो चक निर्माण के अंतिम चरण में या पहले से ही बने प्रस्तावित चकों में बाधा डालेगा। यदि विनिमय की अनुमति दी जाती है, तो अधिनियम की धारा 15 (ई) और (बी) के प्रावधानों के तहत इन खातेदारों के चकों की समीक्षा की आवश्यकता होगी और जाहिर तौर पर ऐसी समीक्षा अन्य चक धारकों को भी अव्यवस्थित और परेशान करेगी", और उन्होंने यह कहकर निष्कर्ष निकाला: " जिस विनिमय द्वारा, पार्टियों के लिए प्रार्थना की गई, जो बड़ी खातेदार हैं और भी बड़े हो जाएंगे और उनके पक्ष में भूमि की स्पष्ट वृद्धि अन्य छोटे खातेदारों के हितों पर

प्रतिकूल प्रभाव डालेगी और उनके लिए अवांछित अशांति और अव्यवस्था का कारण बनेगी। इसके अलावा, चूँकि पक्षकार पिता, माता और पुत्र हैं, जहाँ तक संभव हो धारा 15(डी) सी.एच. अधीनियम का लाभ प्राप्त करेंगे।

डिवीजन बेंच के विद्वान न्यायाधीशों ने निपटान अधिकारी द्वारा आवेदन को अस्वीकार करने के लिए

दिये गये आधारों का विश्लेषण किया। और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि दो मुख्य कारण जिसने उन्हें उत्तरदाताओं के प्रतिकूल आदेश देने के लिए प्रेरित किया, वे थे (1) उस चरण को ध्यान में रखते हुए जिस पर चक का गठन पहुंच गया था। याचिका मंजूर करने से अधिकारियों 37-2 एस.सी. भारत/64 पर काफी काम करना पड़ेगा।(2) याचिकाकर्ताओं को बड़े भूमि-धारक होने के नाते अनुमति देने का मतलब यह होगा कि यदि विनिमय की अनुमति दी जाती तो वे और भी बड़े भूमि-धारक बन जाते। विद्वान न्यायाधीशों ने बताया कि इनमें से कोई भी विचार वैध या प्रासंगिक आधार नहीं होगा जिस पर धारा 16-ए(1) के तहत किए गए विनिमय के लिए आवेदन को खारिज किया जा सके और इसलिए रिट याचिका मंजूर की गई।

16 ए(2) की शर्तें को ध्यान में रखते हुए अगर कोइ याचिका 16-ए(1) में दायर की जाती है जो कि समेकन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जाती है उसका निपटान समेकन अधिकारी द्वारा किया जायेगा। शर्त यह है कि अधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि प्रस्तावित स्थानांतरण से

चकबंदी की थीम विफल होने की संभावना है। उच्च न्यायालय के समक्ष उत्तरदाताओं द्वारा आग्रह किए गए बिंदुओं में से एक इन शब्दों के अर्थ "समेकन की योजना" के संबंध में था। तर्क यह था कि "योजना" शब्द को एक लोकप्रिय अर्थ में या शब्दकोश में समझाए अनुसार समझा जाना चाहिए, और इसका मतलब समेकन को प्रभावित करने की "मोड" या "प्रक्रिया" है। इस निर्माण पर यह तर्क दिया गया कि जिन एक्सचेंजों के लिए अनुमति मांगी गई थी, यदि अनुमति दी जाती, तो एक एकत्रीकरण प्रभावित किया जायेग , आवेदनों को मंजूरी दी जानी चाहिए थी। विद्वान एकल न्यायाधीश और साथ ही अपील पर विद्वान न्यायाधीशों दोनों ने इस सब मिशन को खारिज कर दिया और माना कि "समेकन की योजना" का मतलब समेकन को प्रभावित करने की कोई विधि नहीं है जैसा कि लोकप्रिय रूप से समझा जाता है, लेकिन शब्द एक विशिष्ट संदर्भ थे एस, 13(ए), (बी) और (सी) के प्रावधान जिन्हें हमने उद्धृत किया है। यह स्पष्ट रूप से सही है और, वास्तव में, प्रतिवादी के विद्वान वकील ने हमारे सामने इस स्थिति की शुद्धता पर कोई विवाद नहीं किया।

अगला सवाल यह है कि क्या विनिमय के लिए आवेदन की अस्वीकृति के लिए दिए गए कारण एस में निर्धारित मामले का उल्लंघन करते हैं। 13(ए), (बी) या (सी)। यह वहां निर्धारित मानदंडों पर है कि निपटान अधिकारी को अपना ध्यान निर्देशित करना है और यह केवल वहीं है जहां वह संतुष्ट है कि या तो "सिद्धांतों" को धारा 14 के तहत तैयार

किया गया है। धारा 19 के अंतर्गत "प्रस्ताव"। या कुछ अन्य मामलों को एस के तहत ध्यान में रखा जाना निर्धारित है। 13(सी) अनुमति देकर का उल्लंघन किया गया है वह एक आवेदन को अस्वीकार करता है। इसके अलावा उसे उन कारणों को रिकोडर् करने का आनन्द मिलता है। जो उसे लिखित रूप में ऐसा करने को प्रेरीत करता है।

हमें यह बताना चाहिए कि निपटान अधिकारी का आदेश उन सटीक आधारों के बारे में स्पष्ट नहीं है जिन पर अस्वीकृति आधारित थी। हम दो बिंदुओं के बारे में थोड़ा संदेह भी रखते हैं: (1) कि आवेदनों को खारिज करने के लिए निपटान अधिकारी के आदेश के अंतर्निहित कारणों में कम से कम बड़े हिस्से में वे दो कारण थे जिन्हें हमने पहले उन कारणों के रूप में निर्धारित किया था जिन पर उच्च न्यायालय ने आधार के रूप में भरोसा किया था। उसके आदेश को अमान्य मानना, और (2) ये कारण एस के तहत विनिमय के लिए आवेदन को अस्वीकार करने के लिए उचित या प्रासंगिक नहीं हैं। 16-ए(2). यदि इन मामलों... को ध्यान में रखा गया तो यह स्पष्ट है कि परीणामी आदेश को उचित नहीं ठहराया जा सकता इसलिये हम जानते हैं कि अनुच्छेद २२६ उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों ने आदेश के तहत निपटानअधिकारी के आदेशों को खारिज करके उचित काम किया है।

बंदोबस्त पदाधिकारी के आदेश से अलग होने से पहले एक अन्य मामला भी है जिसका संदर्भ देना होगा. उच्च न्यायालय में अपनी याचिका

में और अपनी याचिका के समर्थन में दायर दलील में, प्रतिवादियों ने दावा किया कि 3 गांवों की जमीनें, जिन्हें उन्होंने विनिमय करने की मांग की थी - श्रीकांतपुर, शंभुपुर और लाचा हारा - निकटवर्ती चक में थीं। प्रस्ताव"। उच्च न्यायालय के समक्ष दायर जवाबी हलफनामे में अपीलकर्ता द्वारा इस आरोप का खंडन नहीं किया गया था, लेकिन दूसरी ओर इस आरोप की सत्यता के संबंध में एक स्पष्ट स्वीकारोक्ति थी। यदि वास्तव में ज़मीनें निकटवर्ती और सन्निहित चकों में थीं, तो यह देखना मुश्किल है कि विनिमय की अनुमति देना किसी "सिद्धांत" या "प्रस्ताव" का उल्लंघन कैसे करेगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में किसी अन्य के अधिकार प्रभावित नहीं होंगे और इसके बजाय एक माँ और एक बेटे या एक पिता और बेटे के पास पास-पास के चक हों, उनमें से एक पास दोनाें होंगें। श्री अग्रवाल द्ववारा इसका विरोध नहीं किया गया । वास्तव में, यहां तक कि निपटान अधिकारी ने भी अपने आदेश में बताया कि पार्टियों के बीच संबंध को ध्यान में रखते हुए वे "अधिनियम की धारा 15 (डी) के लाभ प्राप्त करेंगे", जिसके बारे में श्री अग्रवाल ने कहा था कि यह एक संदर्भ था। उनके रिश्ते के आलोक में निरंतरता की विशेषता। यदि अधिकारी के मन में यह बात थी, तो यह एक ऐसी परिस्थिति होगी जिसके कारण उसे कम से कम कुछ के संबंध में आदान-प्रदान की अनुमति देनी चाहिए थी। इस दृष्टि से कुछ

भूमि की संबंध में विनिमय की अनुमति को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए था। भूमि की प्रत्येक वस्तुओ को कायम नहीं रखा जा सका।

यह एक अतिरिक्त कारण होगा, उस आदेश को रद्द कर दिया जाना चाहिए।

आवेदनों के नए सिरे से निपटान के संबंध में निपटान अधिकारी को विद्वान न्यायाधीशों के निर्देशों के संबंध में अपीलकर्ता के विद्वान वकील की शिकायत पर विचार नहीं करेंगे। विद्वान न्यायाधीशों ने स्पष्ट किया कि, उनके अनुसार, इस बिंदु पर कानून क्या था और व्यावहारिक रूप से निपटान अधिकारी को अनुमति देने की आवश्यकता थी और यह विद्वान न्यायाधीशों के निर्णय का वह भाग है जिसे अपीलकर्ता द्वारा चुनौती दी गई है ग़लत और गलत. विद्वान न्यायाधीशों ने कहा स्थिति इस प्रकार है: " हमें ऐसा लगता है कि कथन में कुछ भी नहीं था सिद्धांतों या प्रस्तावों का विवरण जो किसी विशेष कार्यकाल-धारक के मामले में बड़े चकों के गठन को रोक सकता है। इसके विपरीत, सिद्धांतों और प्रस्तावों के बयानों सहित अधिनियम की पूरी योजना में परिकल्पना की गई है कि जहां तक संभव हो प्रत्येक कार्यकाल धारक के पास एक ही चक होना चाहिए और चक जितना संभव हो उतना बड़ा होना चाहिए। इसलिए, स्थानांतरण, समेकन की योजना को विफल करने के बजाय केवल इसे आगे बढ़ाएगा धारा 16-ए (2) अनिवार्य रूप में है जिसमें निपटान अधिकारी अनुमति देने के लिए बाध्य है जब तक कि वह संतुष्ट न हो जाए कि प्रस्तावित स्थानांतरण है समेकन की योजना को विफल करने की संभावना है और जैसा कि हम इस विचार पर पहुंचे हैं कि इस विनिमय से योजना को

विफल करने की संभावना नहीं है, वह अनुमति देने के लिए बाध्य था", और निर्णय के अंतिम भाग में उन्होंने निपटान अधिकारी को निर्देश दिया कि कानून के उन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए एक आदेश पारित करें जो उन्होंने पहले यानी निकाले गए अनुच्छेद में निर्धारित किए हैं। यह हमें अधिनियम की योजना और इसके सटीक आयात के प्रश्न पर लाता है।

अधिनियम की धारा 13 में विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या स्थानांतरण जिसके लिये अनुमति मांगी गयी है वह धारा 14 में निदिर्ष्ट सिद्धांतों व प्रस्तावों का उल्लंघन करेगी

14 के तहत समेकन और 1.19 के तहत प्रस्तावों के बारे में, अधिनियम विशेष रूप से दायर की गई आपत्तियों और "सिद्धांतों" या प्रस्तावों को अंतिम रूप देने से पहले उन पर विचार करने का प्रावधान करता है। यह बहुत स्पष्ट नहीं है कि वर्तमान उत्तरदाताओं ने दायर किया या किया। परिवर्तन के अपने दावे के आधार पर क्रमशः 16(2) या 20(2) के तहत सिद्धांतों या प्रस्तावों पर कोई आपत्ति दर्ज न करें। यदि ऐसी आपत्तियां दायर की गई हैं, तो उन्हें निर्धारित तरीके से निपटाया जाएगा और निष्पक्षता का निर्णय और मंजूरी के लिए आवेदन पर भी यही आधार पाया जाएगा। II, हालांकि, ऐसी कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई थी जिस पर निपटान अधिकारी को 16-ए के तहत आवेदन से निपटने में विचार करना होगा। (1) यह होगा कि क्या प्रस्तावित स्थानांतरण, यदि अनुमति दी जाती है, तो धारा 18 के तहत अंतिम बन चुके किसी भी "सिद्धांत" के

तहत पुष्टि किए गए "प्रस्ताव" को वास्तविक और ठोस तरीके से प्रभावित करेगा। धारा 18 के तहत पुष्टि की गयी थी। धारा 23 के तहत अस्वीकृति को उचित ठहराने के लिए परावधान दिये गये है।16-ए (2) को एक सिद्धांत के रूप में तैयार किया जाना चाहीए या एक ओर पुष्टी के रूप में ऐसा ठोस प्रस्ताव दूसरी ओर स्थानांतरण के लिए प्रार्थना की गई है। यदि ऐसा कोई विरोधाभास होना चाहिए तो अधिकारी अनुमति से इनकार करने का हकदार होगा लेकिन अन्यथा आवेदक मांगी गई अनुमति के अनुदान का हकदार होगा। हमें शायद ही यह जोड़ने की आवश्यकता है कि प्रस्ताव यह तय करने के लिए है कि क्या ये संघर्ष मौजूद हैं और इस तरह के दावे के अस्तित्व और अधिकार क्षेत्र को मानने के लिए आधार निर्धारित करते हुए एक आदेश पारित करना है। यदि रिकॉर्ड में कोई त्रुटि स्पष्ट हो या उसके आदेश में इसी तरह की कोई कमज़ोरी हो, तो न्यायालय की ओर से दोषारोपण किया जाएगा। इसलिए, विद्वान न्यायाधीशों का निर्देश, उनके प्रति बहुत सम्मान के साथ, हमें इसके अनुरूप प्रतीत नहीं होता है .16-ए(2) की उचित व्याख्या के साथ अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के साथ पढ़ें और इसलिए, हम विद्वान न्यायाधीशों के आदेश को भी रद्द कर देते हैं। निष्कर्ष निकालने से पहले एक मामला है जिस पर हम पहले ही विचार कर चुके हैं और वह संबंधित है उच्च न्यायालय में अपनी याचिका में उत्तरदाताओं द्वारा दावा किया गया कि जिन भूमियों के हस्तांतरण की मांग की गई थी, वे आवेदन में संबंधित तीन गांवों में सन्निहित थीं

श्री अग्रवाल ने यह स्वीकार करते हुए कि यदि तथ्यात्मक स्थिति उपरोक्त होती, तो उन भूखंडों के संबंध में परिवर्तन के माध्यम से स्थानांतरण के लिए आवेदनों को अनुमति दी जाती, उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय में जवाबी हलफनामा तैयार करने में गलती हुई थी। और यह कि वास्तव में, एक गांव में अन्य दो गांवों में कई विरोधियों के बीच हस्तक्षेप करने वाली पतली पार्टियां थीं और सामान्य तौर पर, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि तथ्य के आरोप स्वीकार किए जाते हैं, तो कोई पार्टी ऐसा नहीं करेगी। उन्होंने उनके पीछे जाने की अनुमति दी, लेकिन यह मामला कुछ अनोखा है, क्योंकि ऐसा लगता है कि पक्षों ने तथ्यों के विवरण पर ध्यान केंद्रित नहीं किया है, बल्कि उस पर ध्यान केंद्रित किया है जिसे वे कानून के बिंदु मानते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए हम मानते हैं कि उच्च न्यायालय के समक्ष अपने हलफनामे में की गई स्वीकारोक्ति के लिए अपीलकर्ताओं को रोकना उचित नहीं होगा और विशेष रूप से उस आदेश के मद्देनजर जो हम निपटान अधिकारी को उनके समक्ष दायर आवेदनों का निपटान करने का निर्देश दे रहे हैं। कानून के अनुसार, निपटान अधिकारी मांगी गई अनुमति देने के मामले में भूखंडों के वास्तविक स्थान को ध्यान में रख सकता है। डिवीजन बेंच के विद्वान न्यायाधीशों के आदेश के बाद सेटलमेंट ओलसर ने मामले को नए सिरे से उठाया और 31 अगस्त, 1962 को धारा के तहत अनुमति देते हुए एक आदेश पारित किया। 16-ए(1). लेकिन सिड आदेश के अवलोकन पर यह स्पष्ट है कि इसे एईआर के प्रासंगिक प्रावधानों और के तहत "सिद्धांतों"

और "प्रस्तावों" के संदर्भ में आवेदन की किसी भी जांच के बाद नहीं दिया गया था। 14-18 और एस.एस. क्रमशः 19-23 लेकिन केवल उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने यह सुझाव देने का प्रयास किया कि 31 अगस्त 1962 का वह दूसरा आदेश अंतिम हो गया था और इसलिए अपील की सुनवाई पर प्रारंभिक आपत्ति हो सकती है। आधार यह है कि इस आदेश को स्थापित किए बिना अपीलकर्ता को अब अपील के तहत उच्च न्यायालय के आदेश की शुद्धता के संबंध में कोई राहत नहीं मिल सकती है। हम मानते हैं कि उत्तरदाताओं की यह आपत्ति निराधार है क्योंकि निपटान अधिकारी का यह आगामी आदेश पूरी तरह से उच्च न्यायालय के आदेश पर निर्भर है और यांत्रिक अनुपालन में पारित किया गया था, और यदि विद्वान न्यायाधीशों का आदेश गलत था और होना चाहिए था इस आदेश के अस्तित्व को रद्द कर दिया जाना चाहिए, इस तरह के विवाद के लिए कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि निपटान अधिकारी का यह आदेश उच्च न्यायालय के आदेश के साथ आ जाएगा, जिस पर यह आधारित था।

इसलिए हम अपील की अनुमति देते हैं व विद्वान न्यायाधीश के आदेश के साथ-साथ 31 अगस्त 1962 के निपटान अधिकारी के आदेशों को भी रद्द कर देते हैं, जो उस पर निर्भर था, और निपटान अधिकारी को निर्देश देते हैं, कि वह उत्तरदाताओं से भूमि के आदान-प्रदान के संबंध में प्राथर्ना पत्र ले व इस निणर्य में निहित दिशा निदेर्शों के अनुसार उसका

निपटारा करें। किसी भी गलत धारणा से बचने के लिए यह जोड़ना जरूरी समझते हैं कि एक्ट (1958 और 1963 में) आमूलचूल परिवर्तन किये गये हैं। निपटान अधिकारी कानून के अनुसार आवेदनों को निपटाने में इन बाद के अधिनियमों पर केवल तभी तक ध्यान देगा जब तक वे हाथ में लिये गये मामले पर आवेदन करते हैं।

मामले की परिस्थितियों में हम इस न्यायालय में लागत के संबंधित कोई आदेश नहीं देते हैं

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक संगीता **(न्यायिक अधिकारी)**द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः-यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंगे्रजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।